



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 129) पटना, शनिवार, 31 मार्च 2012

विधि विभाग

अधिसूचना

31 मार्च 2012

सं० एल0जी0-1-4/2012/लेज: 293—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 मार्च 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 6, 2012]**बिहार वित्त अधिनियम, 2012**

प्रस्तावना- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार विधुत शुल्क अधिनियम 1948 (अधिनियम 36,1948), बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-10,2011), बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994(बिहार अधिनियम 8, 1994) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

भाग-1**बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन**

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में एक नई धारा-15क का अंतःस्थापन।- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-15 के बाद निम्नलिखित नई धारा-15क अंतःस्थापित की जायेगी, यथा-

“15क कर दायित्व का समाहितिकरण - (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी एवं इस बावत बनाए गए नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएँ, किसी वर्ग अथवा श्रेणी के निबंधित व्यवहारियों को उनके द्वारा संदेय कर के बदले में, ऐसी दर पर परिगणित किसी रकम का, जो उनके सकल आवर्त के पाँच प्रतिशत से अनधिक हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करने की अनुमति दे सकेगी।

(2) ऐसे व्यवहारी जिनपर उप-धारा (1) के उपबंध लागू होते हों, -

(क) अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट माल के बिक्रय पर कोई कर प्रभारित नहीं करेंगे;

(ख) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर से अधिक पर कर प्रभारित नहीं करेंगे; और

(ग) उनके द्वारा किए गए बिक्रय के संबंध में कर-बीजक जारी करने के हकदार नहीं होंगे।

(3) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यवहारी जिनपर उप-धारा (1) के उपबंध लागू होते हैं।-

(क) विहित प्राधिकारी को ऐसी विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट करते हुए, ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसी रीति से, ऐसी अवधि हेतु एवं ऐसी तिथि तक जो आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें एक सच्ची एवं पूर्ण विवरणी दाखिल करेगा।

(ख) अपने व्यवसाय के संबंध में ऐसा लेखा-पुस्त संधारित करेगा एवं ऐसी रीति से ऐसा लेखा तैयार करेगा जैसा आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद “लेखापुस्त” में उनके व्यवसाय के संबंध में संधारित पंजी, विवरण, बीजक, बिल, लेजर, संविदा एवं अन्य उनके द्वारा प्राप्त अथवा निर्गत दस्तावेज शामिल होंगे।”

3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 में संशोधन -

(1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 की उप-धारा (1) का खंड (ड) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

“(ड) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी बिहार राज्य के भीतर दूसरे ऐसे व्यवहारी से, चार प्रतिशत से उच्चतर दर पर, धारा-14 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर का उसको संदाय करने के पश्चात्, किसी निवेश का क्रय करता है, और ऐसे माल से विनिर्मित वस्तु या वस्तुओं का बिहार राज्य से बाहर दूसरे व्यवहारी को अंतरण करता है, तो उसे ऐसी प्रतिशत अथवा ऐसी राशि से अधिक एवं ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे कर का प्रतिदाय अनुज्ञात किया जाएगा :”

(2) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 की उप-धारा (1) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

“परन्तु जब किसी मास के लिए खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ड) के अधीन निवेश कर प्रतिदाय के लिए दावा उसी मास के लिए उत्पादन कर से अधिक होता है तो ऐसा आधिक्य पश्चात्पूर्ती मासों के, जो उस वित्तीय वर्ष के अंतिम मास के बाद का कोई मास नहीं है, उत्पादन कर के विरुद्ध समायोजन के लिए अग्रणीत किया जाएगा और धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन दाखिल विवरणी के अनुसार शेष असमायोजित निवेश कर की रकम का इस अधिनियम की धारा-68, धारा-69, धारा-69क और धारा-71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, व्यवहारी को, धारा-24 की उप-धारा (3) के अधीन वांछित विवरणी तथा धारा-54 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित किसी प्रतिवेदन के दाखिल किए जाने वाले माह के पश्चात् तीन माह के भीतर प्रतिदाय किया जाएगा।”

(3) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 की उप-धारा (1क) विलोपित की जाएगी।

(4) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अंत में पूर्णविराम को ; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं ऐसे प्रतिस्थापित ; (सेमीकॉलन) के पश्चात् शब्द "अथवा" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(5) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-16 की उप-धारा (3) के खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित दो नये खंड (छ) एवं (ज) जोड़े जाएंगे, यथा—

“(छ) अधिनियम की धारा-15क के अधीन कर का भुगतान करने वाले किसी व्यवहारी से राज्य के भीतर किये गए निवेश की खरीद के संबंध में; या

(ज) समरूपी खरीद-मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री किए गए निवेशों की बावत :

परन्तु निवेश कर में छूट के ऐसे दावों के मामले में, जिनपर खंड (ज) के उपबंध लागू होते हों, निवेश कर के छूट का दावा ऐसे माल के बिक्रय पर उत्पादन कर की राशि तक सीमित होगी जिनकी बिक्री उनके समरूपी क्रय-मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो।”

4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-19 का संशोधन— बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-19 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अन्त में पूर्णविराम को ; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं, इस तरह से प्रतिस्थापित ; (सेमीकॉलन) के बाद, निम्नलिखित एक नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा—

“परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिसपर पहला परन्तुक लागू होता हो, से निबंधन के लिए तब तक कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जबतक आवेदक निबंधन हेतु आवेदन के साथ, विहित प्रपत्र में एवं विहित रीति से दस हजार रुपए के समतुल्य राशि की प्रतिभूति जमा नहीं कर देता।”

5. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-24 का संशोधन—(1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-24 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा—

“(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई व्यवहारी हो और जो इस अधिनियम के अधीन निबंधित नहीं हो, विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से सूचना तामिल कर उस प्रपत्र एवं रीति से और उस समय तक जो विहित किया जाय विहित प्राधिकारी के पास एक सत्य एवं पूर्ण विवरणी दाखिल करेगा।

(1 क) प्रत्येक निबंधित व्यवहारी (जो धारा-15 की उप-धारा (1) या उप-धारा (1क) या उप-धारा (4) या धारा-15क के अधीन कर भुगतान हेतु अनुज्ञात व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी हो) प्रत्येक तिमाही के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विहित बिक्रय, क्रय प्राप्तियों और माल के प्रेषण तथा किसी अन्य संव्यवहार से संबंधित अपने सभी संव्यवहार के संबंध में एक सही और संपूर्ण विवरणी आयुक्त द्वारा निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को या उसके पूर्व विहित प्राधिकारी को, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, देगा:

परन्तु निबंधित व्यवहारियों की भिन्न श्रेणियों हेतु भिन्न तिथियाँ विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।”

6. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-35 का संशोधन— बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-35 की उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित नई उप-धारा (1क) जोड़ी जायेगी, यथा—

“(1क) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी एवं इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए अधिनियम की धारा-15क के अधीन कर-भुगतान करने वाले के व्यवहारियों के वर्ग अथवा, विवरण जो इस निमित्त निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए, राज्य सरकार उनके सकल आवर्त से ऐसी निश्चित दर से संगणित कटौती की राशि विनिर्दिष्ट कर सकेंगी जो इस निमित्त निर्गत अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।”

7. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-41 का संशोधन— बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-41 की उप-धारा (1) में शब्द “चार प्रतिशत” शब्द “पाँच प्रतिशत” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में एक नई धारा-69क का अंतःस्थापन— बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-69 के बाद एक नई धारा 69क अंतःस्थापित की जाएगी, यथा—

“69क कतिपय मामलों में कर-वापसी।— धारा-68 अथवा धारा-69 अथवा इनके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के रहते हुए भी, अधिनियम की धारा-16 की उप-धारा (1) के परन्तुक के कारण आवश्यक किसी असमायोजित निविष्ट कर का प्रतिदाय बिना ऐसे प्राधिकारी द्वारा एवं ऐसी रीति से सत्यापन एवं प्रतिजांच के, जो आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे, नहीं किया जायगा।”

9. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में धारा-98क का अंतःस्थापन— बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-98 के बाद निम्नलिखित एक नई धारा-98क अंतःस्थापित की जायेगी, यथा—

“98क कतिपय मामलों में समय सीमा के विस्तार तथा प्रपत्रों का विहित किया जाना।—(1) अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब आयुक्त, अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से एवं अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधधीन जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए,—

(क) अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रीति से किसी कर—भुगतान करने, अथवा

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रीति से अपेक्षित किसी विवरणी या विवरण या प्रतिवेदन भेजने के संबंध में की तिथि या, यथास्थिति, विस्तारित तिथि का विस्तार कर सकेगा तथा ऐसा विस्तार उस तिथि से अथवा, यथास्थिति, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक विवरणी या इलेक्ट्रॉनिक विवरण या इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवेदन के संबंध में विनिर्दिष्ट विस्तारित तिथि तीन माह से अधिक कालअवधि के लिए होगा।

(2) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, अधिसूचना द्वारा अधिनियम के अधीन अथवा अधिनियम द्वारा अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल किए जानेवाले किसी आवेदन या विवरणी या विवरण या प्रतिवेदन दाखिल करने का प्रपत्र एवं रीति विहित कर सकेगा।”

भाग - II

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम संख्या 36, 1948)

का संशोधन एवं विधि मान्यकरण

10. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36, 1948) की धारा—2 का संशोधन।—

(1) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36, 1948) की धारा—2 के खंड (च) के पश्चात एक नया खंड (चच) दिनांक 17 अक्टूबर, 2002, के प्रभाव से अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा—

“(चच) ‘ऊर्जा का मूल्य’ से अभिप्रेत है—

(i) किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी उपभोक्ता को ऊर्जा के बिक्रय के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा का ऐसा प्रभार जो उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले किसी व्यक्ति को भुगततेय है परन्तु उसमें निम्नलिखित प्रभार शामिल नहीं होगा, यथा—

(1) मीटर शुल्क;

(2) विलंब से किए गए भुगतान हेतु सूद की राशि;

(3) फ्यूज ऑफ काल प्रभार अथवा रिकनेक्शन प्रभार :

परन्तु यदि उपभोक्ता के द्वारा कोई ऊर्जा खपत नहीं की गई हो तो उसपर देय न्यूनतम प्रभार को ऊर्जा का मूल्य नहीं माना जाएगा :

परन्तु और कि जहां उपभोक्ता द्वारा वास्तव में खपत की गई ऊर्जा की इकाईयाँ ऊर्जा की वैसी इकाईयाँ से कम हो जिस हेतु विहित न्यूनतम प्रभार भुगततेय है। वहां वैसी उपभोक्ता के मामले में ऊर्जा के मूल्य से अभिप्रेत होगा वास्तव में खपत की गई ऊर्जा की इकाईयाँ का प्रभार न कि विहित न्यूनतम प्रभार ।

(ii) ऊर्जा का उत्पादन करनेवाले व्यक्ति के द्वारा ऐसी ऊर्जा खपत के मामले में इलेक्ट्रीसीटी (सप्लाई) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 54) की धारा—5 के अधीन गठित बिहार राज्य विद्युत पर्षद को, उपभोक्ता के क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य उपभोक्ता द्वारा बिहार राज्य विद्युत पर्षद द्वारा शक्ति की वैसी मात्रा की आपूर्ति हेतु, देय प्रभार।

(2) उक्त अधिनियम की धारा—2 में संशोधन सभी प्रयोजनों हेतु 2002 के अक्टूबर की सतरहवी तारीख के प्रभाव से सभी तात्विक समय में विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझा जाएगा।

(3) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कोई निर्धारण, संग्रहण, समायोजन, घटाव अथवा संगणन अथवा कृत कोई अन्य कार्रवाई अथवा की गयी कोई बात या की जाने के लिए आशान्वित कोई बात या कार्रवाई सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः या प्रभावकारी रूप से निर्धारित, संग्रहित, समायोजित, घटाई गयी, संगणित अथवा की गयी समझी एवं सदैव समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत्त था तथा, तदनुसार, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में ऐसे कर के रूप में प्राप्त की गयी अथवा भुगतान की गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो प्रारंभ की जाएगी, न चलाई जाएगी और न ही जारी रखी जाएगी;

(ख) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा प्राप्त या वसूल किये गए ऐसे कर की राशि के वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा;

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) की धारा—2 में इस अधिनियम द्वारा संशोधन के फलस्वरूप संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया हो, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) की धारा—2 की उप—धारा (चच) के साथ पठित धारा—3 के अनुरूप वसूली जा सकेगी।

(4) शंकाओं के निराकरण हेतु एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप जो इस धारा के प्रवृत्त नहीं होने की दशा में दंडनीय नहीं होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।

भाग-III

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में संशोधन

11. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्यनियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा-3 का संशोधन - (1) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अंत में पूर्ण विराम को ; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं इस प्रकार प्रतिस्थापित ; (सेमीकॉलन) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“परंतु अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा (3) के अधीन भुगतये ब्याज सहित, देय कर यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया है तथा जिसने अधिनियम की धारा 7 द्वारा अपेक्षित विवरणी दाखिल कर दिया है, के द्वारा देय कर स्वतः निर्धारित समझा जायेगा।”

(2) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा-7 की उप-धारा (1) के अंत में पूर्ण विराम को ; (सेमीकॉलन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं इस प्रकार प्रतिस्थापित ; (सेमीकॉलन) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“परंतु किसी कार्य नियोजक के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा (3) के अधीन भुगतये कर ब्याज सहित, यदि कोई हो, अधिनियम में निर्दिष्ट देय अधिकतम राशि के समतुल्य कर का भुगतान कर दिया है, के द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।”

भाग-IV

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) में संशोधन

12. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 का भाग-क का प्रतिस्थापन - उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 का भाग-क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा:-

अनुसूची-1

भाग-क

वैयक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर की दर तालिका

[धारा-7 की उप-धारा (1) देखें]

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			मोटर साईकिल	व्यक्तिगत मोटर कार एवं 12 बैटान क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4	5
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र	एकमुश्त कर वाहन के वैट रहित क्रय मूल्य का 6%	एकमुश्त कर (प) वैट रहित मूल्य का 6%, रु. 4 लाख तक मूल्य के वाहन के लिए (पप) वैट रहित मूल्य का 7%, रु. 4 लाख से अधिक मूल्य के वाहन के लिए ।
ब		यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र-	खंड अ कॉलम(4) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाला एकमुश्त कर का प्रतिशत।	खंड अ कॉलम(5) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत।
	1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	95%	95%
	2	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	90%	90%
	3	तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम	85%	85%
	4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम	80%	80%

5	पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से कम	75%	75%
6	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	70%	70%
7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	65%	65%
8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	60%	60%
9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	55%	55%
10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	50%	50%
11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	45%	45%
12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	40%	40%
13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	35%	35%
14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पंद्रह वर्ष से कम	30%	30%
15	पंद्रह वर्ष से अधिक	25%	25%

13. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की अनुसूची-III का प्रतिस्थापन – उक्त अधिनियम के अनुसूची-III का निम्नलिखित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है।

परिशिष्ट. III

(धारा-6 देखें)

व्यापारी या निर्माता द्वारा देय कर की दर तालिका

व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर
	रुपया
1. मोटर साइकिल	150.00
2. भारी वाहनों के चैसिस	250.00
3. अन्य वाहन	200.00

31 मार्च 2012

सं० एल०जी०-1-4/2012/लेज: 294—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 मार्च 2012 को अनुमत बिहार वित्त अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा:-

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 6, 2012]

BIHAR FINANCE ACT 2012**AN
ACT**

PREAMBLE - TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005, THE BIHAR ELECTRICITY DUTY ACT, 1948 AND BIHAR TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 2011, BIHAR MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty three year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called the Bihar Finance Act, 2012.

(2) It Shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It Shall come in to force at once.

PART-1**Amendment in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).**

2. Insertion of a new section 15A in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005). herein after referred to as **Act 27, 2005**- After section 15 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new section 15A shall be inserted, namely—

“15A. Compounding of tax liability.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act and subject to such Rules as may be made in this behalf, the State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed, permit any class or description of registered dealers to pay, in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate, not exceeding five percent, of his gross turnover as may be specified in the notification.

(2) Every dealer to whom the provisions of sub-section (1) apply shall—

(a) not charge any tax on the sale of goods specified in Schedule 1;

(b) not charge any tax in excess of the rate specified in the notification issued under sub-section (1); and

(c) not be entitled to issue any tax invoice in respect of any sale made by him.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act, every dealer to whom the provisions of sub-section (1) applies, shall—

(a) furnish to the prescribed authority a true and complete return, containing such particulars in such form and manner and in respect of such period and within such time as the Commissioner may, by notification specify;

(b) maintain such books of accounts and draw up such accounts in such manner in respect of his business as the Commissioner may, by notification, specify.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression “books of accounts” shall include registers, statements, invoices, bills, ledgers, contracts and other documents, in relation to his business, issued to or received by him.”

3. Amendment in section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— (1) Clause (e) of sub-section (1) of section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the following, namely—

“(e) when a registered dealer purchases any input within the State of Bihar from another such dealer after paying him the tax as specified under section 14 at a rate higher than four per cent and transfers goods manufactured from such goods to another dealer outside the State of Bihar, he shall be allowed credit of such tax and in excess of such percent or in excess of such amount in the manner as may be prescribed:”

(2) The proviso to sub-section (1) of section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the following, namely—

“Provided that if the claim for input tax credit under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (e) for any month exceeds the output tax for the same month, such excess shall be carried forward for adjustment against the output tax of subsequent months, not being a month later than the last month of the financial year, and any amount of input tax that remains unadjusted in terms of the return under sub-section (3) of section 24 shall be refunded, subject to the provisions of sections 68, 69, 69A and 71 of the Act, within three months following the month in which the return required under sub-section (3) of section 24 and the report under sub-section (2) of section 54, if required, is furnished.”

(3) Sub-section (1A) of section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be deleted.

(4) The full stop at the end of clause (f) of sub-section (3) of section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by a semi-colon and after the semi-colon so substituted the word “or” shall be inserted.

(5) After clause (f) of sub-section (3) of section 16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following two new clauses (g) and (h) shall be added, namely—

“(g) in respect of inputs purchased from within the State by a registered dealer paying tax under section 15A of the Act;

(h) in respect of inputs which have been sold at a price lower than the corresponding purchase price thereof:

Provided that in the matter of such claims of Input tax credit to which the provisions of clause (h) apply, the claims of input tax credit shall be restricted to the amount of output tax in respect of the sale of such goods as have been sold at a price lower than the corresponding purchase price thereof.”

4. Amendment in section 19 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— The full stop at the end of the first proviso to sub-section (1) of section 19 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by a colon and, after the colon so substituted, the following new proviso shall be inserted, namely—

“Provided further that no application for registration from a person to whom the first proviso hereto applies shall be accepted unless the applicant furnishes, along with the application for registration, security, in such form and manner as may be prescribed, equivalent to ten thousand rupees.”

5. Amendment in section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— (1) Sub-section (1) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the following, namely—

“(1) Every person, being a dealer, who is not registered under this Act, by a notice served in the manner prescribed by the prescribed authority, shall furnish a true and complete return to the prescribed authority in such form and manner and by such time as may be prescribed.”

“(1A) Every person, being a registered dealer (other than a dealer permitted to pay tax under sub-section (1) or sub-section (1A) or sub-section (4) of section 15 or section 15A) shall furnish, to the prescribed authority, a true and complete return, in the form and manner prescribed, in respect of all his transactions relating to sales, purchases, receipts and dispatches of goods and any other transactions prescribed specifically for each quarter, on or before such date as the Commissioner may, by notification, specify:

Provided that different dates may be specified in respect of different categories of registered dealers.”

6. Amendment in section 35 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— After sub-section (1) of section 35 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new sub-section (1A) shall be added, namely—

“(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and subject to such Rules as may be made in this behalf, the State Government may, in respect of such class or description of dealers paying tax under section 15A of the Act, as may be specified in a notification issued in this behalf, specify deductions from the Gross Turnover calculated at such fixed rates as may be specified in the notification issued in this behalf.”

7. Amendment in section 41 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— The words “four per cent” in sub-section (1) of section 41 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the words “five per cent”.

8. Insertion of a new section 69A in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— After section 69 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new section 69A shall be inserted, namely—

“69A. Refunds in certain cases.— Notwithstanding anything contained in section 68 or section 69 or the rules made there under, no refund of unadjusted input tax, necessitated by virtue of the proviso to sub-section (1) of section 16 of the Act, shall be made without verification and cross-checking in such manner and by such authorities as the Commissioner may, by notification, specify.”

9. Insertion of a new section 98A in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— After section 98 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new section 98A shall be inserted, namely—

“98A. Extension of time limit and prescription of forms in certain cases.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or the Rules made there under, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing and by notification and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification, extend the date or, as the case may be, the extended date, specified in the Act in respect of—

(a) making any electronic payment of tax under the Act, or

(b) furnishing any return or statement or report required to be filed electronically

and such extension shall be for a period not exceeding three months from the date, or, as the case may be, the extended date, specified in respect of such electronic payment or electronic return or electronic statement or electronic report, as the case may be.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or the Rules made there under, the Commissioner may, by notification, specify the form and manner in which any application, return or statement or report required by or under the Act may be furnished electronically.”

PART-2

Amendment and Validation of Bihar Electricity Duty Act, 1948(Bihar Act 36 of 1948)

10. Amendment in section 2 of the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948).— (1) After clause (e) of section 2 of the Bihar Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948), the following new clause (ee) shall be inserted with effect from the seventeenth day of October, 2002, namely—

“(ee) ‘value of energy’—

(i) in case of energy sold to a consumer by a licensee or by any person who generates energy, means the charges payable by the consumer, to the licensee or to any person who generates such energy, for the energy supplied by such licensee or person, as the case may be, but it shall not include the following charges, namely—

- (1) Meter charges
- (2) Interest on delayed payment
- (3) Fuse-off call charges and reconnection charges:

Provided that where no energy has been consumed by a consumer, minimum charges payable by him shall not deemed to be the value of energy:

Provided further that where the units of energy actually consumed by a consumer are less than the units of energy for which prescribed minimum charges are payable, the value of energy shall, in the case of such consumer, mean the charges for the units of energy actually consumed by him and not the prescribed minimum charges:

(ii) in case of energy consumed by the person generating such energy, means the charges payable by any other consumer for such quantum of power to the Bihar State Electricity Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Act 54 of 1948) in respect of energy supplied by the Bihar State Electricity Board within the area where the consumer is located;”

(2) The amendments made in section 2 of the Act shall be deemed to be, and to always have been, for all purposes, as validly and effectively in force at all material times with effect from the seventeenth day of October, 2002.

(3) Any assessment, collection, adjustment, reduction or computation made or any other action taken or anything done or purported to have been taken or done under the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948) and notifications issued and rules made there under shall be deemed to be and to have always been, for all purposes, as validity and effectively, assessed, collected, adjusted, reduced, computed or taken or done as if the said Act as amended by this Act had been in force at all material times and accordingly, notwithstanding anything contained in any judgment, decree, or order of any Court, or Tribunal or other Authority :-

(a) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any Court or Tribunal or other Authority for the refund of any amount received or realized by way of such duty;

(b) no Court, Tribunal or other Authority shall enforce any decree or order directing the refund or any amount received or realized by way of such duty;

(c) recoveries shall be made, in accordance with the provisions of sub-section (ee) of Section 2 read with the provisions of Section 3 of the Bihar Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948), of all amounts which could have been collected as duty under the said Act by reason of amendment made in Section 2 by this Act but which had not been collected.

(4) For the removal of doubts, it is hereby declared that no act or omission on the part of any person shall be punishable as an offence which would not have been so punishable if this section had not come into force.

PART-3

Amendment in Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Acts, 2011.

11. Amendment in section 3 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10 of 2011).— (1) The full stop at the end of section 3 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10 of 2011) shall be substituted by a colon and after the colon so substituted the following proviso shall be inserted, namely—

“Provided that the tax due from a person, liable to tax under this Act, who has remitted the amount of tax due from him, along with the interest, if any, payable under sub-section (3) of section 8 of the Act and has furnished the return required by section 7 of the Act, shall be deemed to have been assessed.”

(2) The full stop at the end of sub-section (1) of section 7 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10 of 2011) shall be substituted by a colon and after the colon so substituted the following proviso shall be inserted, namely—

“Provided that every person, other than an employer, liable to tax under this Act, who has remitted, by way of tax, an amount equivalent to the maximum amount specified under the Act, along with the interest, if any, payable under sub-section (3) of section 8 of the Act shall not be required to furnish the return specified in this section.”

PART-4

Amendment in Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994

12 Substitution of the Part A of the Schedule-I of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994(Act 8,1994) - Part A of Schedule-I of the Act shall be substituted by the following :

Schedule-I

Part A

Rate chart of one-time tax for Personal Vehicles

[See Sub-section(1)of Section-7]

Clause	Sl.No.	Stages of Registration	Class of Motor Vehicles	
			Motor Cycles	Motorcars and Omnibuses up to seating capacity of 12 used for personal use
1	2	3	4	5
A		Up to one year of age at the time of registration or first	One time tax at the rate of 6% of cost of vehicles excluding	One time tax at the rate of (i) 6% of the cost

		registration	VAT	excluding VAT for the vehicles, costing up to Rs. 4 lac. (ii) 7% of the cost excluding VAT for the vehicles, costing more than Rs. 4 lac .
B		If the Motor vehicle is already registered and its age from the first registration is	Percentage of one time tax levied under Clause A-Column(4)	Percentage of one time tax levied under Clause A-Column(5)
	1	More than one year but not more than two years	95%	95%
	2	More than two year but not more than three years	90%	90%
	3	More than three year but not more than four years	85%	85%
	4	More than four year but not more than five years	80%	80%
	5	More than five year but not more than six years	75%	75%
	6	More than six year but not more than seven years	70%	70%
	7	More than seven year but not more than eight years	65%	65%
	8	More than eight year but not more than nine years	60%	60%
	9	More than nine year but not more than ten years	55%	55%
	10	More than ten year but not more than eleven years	50%	50%
	11	More than eleven year but not more than twelve years	45%	45%

	12	More than twelve year but not more than thirteen years	40%	40%
	13	More than thirteen year but not more than fourteen years	35%	35%
	14	More than fourteen year but not more than fifteen years	30%	30%
	15	More than fifteen year	25%	25%

13. Substitution of the Schedule-III of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act,1994 (Act 8, 1994) - Schedule-III of the Act shall be substituted by the following:

SCHEDULE-III

(See Section 6)

Rates of tax to be paid by dealer or manufacturer

Description of Vehicles in possession under a manufacturer or dealer	Annual tax for per vehicle under a manufacturer or dealer
	Amount Rs.
1. Motor Cycles	150.00
2. Chassis of heavy motor vehicles	250.00
3. Other vehicles	200.00

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 129-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>